(ख) क्या इनकी संख्या उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अतिरिक्त पेट्रोल-पम्प खोलने पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर 1142 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में हैं। तेल उद्योग राज्य एंव राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित करने के लिए निम्नलिखित परिणाम-दूरी मानकों का अनुसरण करता है:

(1) प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्र के 15 किलोमीटर (दोनों तरफ) के अंतर्गत प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र संयुक्त थूपुट 80 किलो लीटर (के एल) से अधिक होना चाहिए।

(2) प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान न्यूनतम प्रत्याशित बिक्री निम्नवत होनी चाहिए:

(क) केवल एच एस डी के मामले में	-	50 किलो लीटर प्रति माह
(ख) एम एस/एच एस डी के संयुक्त मामले में	-	एम एस - 5 किलोलीटर प्रतिमाह
	-	एच एस डी 50 किलोलीटर प्रतिमाह

(ख) और (ग) वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1996-98 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 98 और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें सम्मिलित की गई हैं।

निजी क्षेत्र के अंतर्गत तेलशोधक कारखानों की स्थापना

2591. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत तेलशोधक कारखानों की स्थापना के लिए दी गई स्वीकृति के आधार पर अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन तेल शोधक कारखानों में से प्रत्येक की संस्थापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) इन तेलशोधक कारखानों को स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं और प्रत्येक तेलशोधक कारखाने में पूंजीगत निवेश में विदेशी एवं स्वदेशी ऋण का प्रतिशत कितना-कितना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) गुजरात में मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड की रिफाइनरियां, जो दोनों जामनगर में स्थित हैं, क्रमश: जून, 1999 तथा मार्च, 2000 तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है।

मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस ए (बी वी आई), स्विटजरलैंड को गुजरात के पश्चिम तट पर 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाई के तहत 5 एम एम टी पी ए क्षमता वाली रिफाइनरी की स्थापना के लिए 14.8.1992 को एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था। लेकिन, चूंकि रिफाइनरी ने कोई प्रगति नहीं की इसलिए उनके आशय-पत्र का पुन: वैधीकरण नहीं किया गया।

सरकार ने दिसंबर, 1995 में ओमान आयल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में बीना (म. प्र) में 5277 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6 एम एम टी पी ए क्षमता वाली रिफाइनरी की स्थापना के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। क्रूड पाइपलाइन बिछाने के लिए वन्य जीवन रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गुजरात सरकार से समुद्री अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

पश्चिम तट रिफाइनरी महाराष्ट्र में 6 एम एम टी पी ए क्षमता के साथ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और ओमान आयल कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की जानी थी पर ओमान आयल कंपनी ने अपनी विभिन्न अन्य वचनबद्धताओं के कारण इस उद्यम में अपने हित की समीक्षा करने की इच्छा व्यक्त की । रीतियों की जांच एच पी सी एल द्वारा की जा रही है।

सीसा-रहित पेट्रोल

2592. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीसा-रहित पेट्रोल की बिक्री कितने शहरों में की जा रही है और कितने शहरों में मात्र सीसा-रहित पेट्रोल का उपयोग अनिवार्य है;

(ख) देश में बेचे जाने वाले कुल पेट्रोल की तुलना में सीसा-रहित पेट्रोल की बिक्री का प्रतिशत कितना है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रमाणिक अध्ययन किया गया है कि सीसा-रहित पेट्रोल ही प्रदूषण नियंत्रण का एकमात्र उपयोगी विकल्प है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार सीसा रहित पेट्रोल 412 स्थानों पर बेचा जा